न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :—वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 369 / 2026
मोकामा थाना कांड संख्या 214 / 2026

त्रिभुवन चौबे, पिता रामजी चौबे, उम्र करीब 33 वर्ष,

साकिन—मोर, थाना—मोकामा, जिला—पटना.....आवेदक अभियुक्त

बनाम्

बिहार सरकार ..... विपक्षी

आवेदक अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :— श्री विजय प्रकाश

बिहार सरकार की ओर से विद्वान अधिवक्ता :— मो0 एस0 आर0 रहमान

आदेश

08.07.2026 काराधीन आवेदक अभियुक्त त्रिभुवन चौबे की ओर से नियमित जमानत आवेदन धारा 439 दं.प्र. सं. के तहत् दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति अभियोजन को प्रदान किया गया है। यह वाद मोकामा थाना कांड संख्या 214 / 2026, अंतर्गत धारा 25(1-b), (a), 26 शस्त्र अधिनियम से सम्बंधित है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता जमानत आवेदन को संचालित करते हैं तथा निवेदन करते हैं कि आवेदक अभियुक्त की ओर से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन सत्र न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध इसके अतिरिक्त दो आपराधिक मामले मोकामा थाना कांड सं0 216 / 25 एवं बाईपास थाना कांड सं0 124 / 2011 लंबित है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है और इसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक के पास से कोई भी आग्नेयास्त्र, गोला बारुद या चोरी का सामान बरामद नही हुआ है और दुश्मनों द्वारा इन्हें फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त का संयुक्त परिवार है, जिसमें उसके भाई, पिता एवं चाचा साथ में रहते हैं और पुलिस दुश्मनो से मिलीभगत कर झूठे केस में फंसाया है। आवेदक अभियुक्त के घर से गोली, बारुद या ऐसी कोई वस्तु बरामद नही हुआ है और जबरन जप्ती सूची पर हस्ताक्षर ले लिया गया है। स्थानीय किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति का जप्ती सूची पर हस्ताक्षर नही है। आवेदक अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से कारा में है। आवेदक अभियुक्त सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः न्यायहित में आवेदक अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

अभियोजन जमानत का विरोध करते हैं।

प्रस्तुत वाद के सूचक लव कुमार सिंह पु0अ0नि0 मोकामा हैं। अभियोजन वाद संक्षेप में यह है कि मोकामा थाना कांड संख्या 196 / 26 दिनांक 25.04.26 धारा 331(4), 305(ए) भा.न्या.सं. 2023 के अंतर्गत दर्ज गृहभेदन चोरी कांड में अनुसंधान के कम में एक संदिग्ध व्यक्ति त्रिभुवन चौबे (आवेदक) को पूछताछ हेतू पकड़ा गया और उसकी निशानदेही चोरी गए सामान की बरामदगी हेतू सशस्त्रबल के साथ उसके घर पहुंचे। घर की तलाशी में वहां पर उपस्थित लोगों में किसी ने भी स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं हुए। तत्पश्चात हवलदार विश्वनाथ पासवान एवं चंदन कुमार को साक्षी मानते हुए त्रिभुवन चौबे के निशानदेही पर उसके घर की तलाशी लिया गया। तलाशी के कम में त्रिभुवन चौबे के चौकी पर रख उजला रंग के प्लास्टिक के झोला से एक देशी कट्टा जिसके बट की लंबाई 4 अंगुल, बॉडी की लंबाई 4 अंगुल, बैरल की लंबाई 7 अंगुल एवं .315 बोर का 4 जिंदा कारतूस जिसके पेंदी पर 8एम.एम.के.एफ. अंकित है एवं त्रिभुवन चौबे के पास से सिल्वर रंग का OPPO A15 S मोबाईल बरामद हुआ एवं घर से चोरी गए सामान की भी बरामदगी हुई। बरामद समान का कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और बरामद समानों के बारे में बताया की मेरा ही है एवं इसका प्रयोग चोरी की घटना को अंजाम देने में करते हैं।

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, बाढ़
उपस्थिति :—वीरेन्द्र कुमार चौबे
नियमित जमानत आवेदन संख्या 369/2026
मोकामा थाना कांड संख्या 214/2026

लगातार
08.07.2026

उभयपक्षों को सुना। जमानत आवेदन एवं आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्त प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्त एक अन्य वाद मोकामा थाना कांड संख्या 196/26 का संदिग्ध अभियुक्त था, जिसके घर पर चोरी के सामान की बरामदगी हेतू पुलिस बल द्वारा छापेमारी कर तलाशी की गई। उक्त तलाशी के कम में अभियुक्त के घर से चोरी के सामान के अतिरिक्त उसके घर से चौकी पर रखे उजले रंग के प्लास्टिक के झोला से एक देशी कट्टा एवं .315 बोर का चार जिन्दा कारतूस बरामद किया गया, जिसके सम्बंध में उसके द्वारा कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। कांड दैनिकी के अवलोकन से विदित होता है कि पारा—2 में जप्ती सूची में अभियुक्त के घर से देशी कट्टा, गोली एवं मोबाईल की जप्ती दर्शायी गई है। पारा—3 में अभियुक्त के घर से थाना कांड संख्या 196/26 के अंतर्गत चोरी किये गये गहने, जिनमें सोने का मनटीका, अंगूठी, लॉकेट आदि 9 जेवरात बरामद होने का वर्णन है। पारा—4 में सूचक लवकुश सिंह पु0अ0नि0 ने अपने पुनः बयान में आवेदक अभियुक्त के घर पर चोरी के सामान की तलाशी के दौरान चोरी के जवरात के साथ अवैध आग्नेयास्त्र बरामद होने की बात कही है। पारा—10, 11, 12 में साक्षी हवलदार विश्वनाथ पासवान, सिपाही चंदन कुमार एवं सिपाही शोभा कुमारी ने भी अभियुक्त के पास से शस्त्र बरामदगी की बात कही है। पारा—28 में अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का वर्णन है, जिसमें उसके विरुद्ध 3 अन्य वाद दर्ज होने का वर्णन है, जो निम्न है।

1. बाईपास थाना (पटना) कांड सं0 124/11, धारा 395 भा.द.वि.
2. मोकामा थाना कांड संख्या 216/25, दिनांक 25.05.2025 धारा 331(2), 127(2), 115(2), 117(2), 303(2), 351(2), 352, 3(5) भा.न्या.सं.
3. मोकामा थाना कांड सं0 196/26 दिनांक 25.04.2026 धारा 331(4), 305(ए) भा.न्या.सं. 2023 दर्ज होने की बात कही गई है।

इस वाद में अभियुक्त के विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण करते हुए आरोप पत्र संख्या 126/16 अंतर्गत धारा 25(1-b), (a), 26 शस्त्र अधिनियम में समर्पित किया जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 05.05.2026 से कारा में है। विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि उक्त तीनों वादों में मोकामा थाना कांड संख्या 126/26 को छोड़कर अन्य दो वादों में अभियुक्त जमानत पर है।

वाद के उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों एवं अभियुक्त के कारा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त त्रिभुवन चौबे को नियमित जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामस्वरुप आवेदक अभियुक्त को 10,000(दस हजार) रुपये का दो प्रतिभू में बंधपत्र दाखिल करने पर नियमित जमानत पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त के साथ दिया जाता है कि वह मोकामा थाना कांड संख्या 196/2026 में जमानत प्राप्त करने के पश्चात् ही इस वाद में बंधपत्र दाखिल करेंगे।

(लेखापित/शुद्धित)

(वीरेन्द्र कुमार चौबे)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम बाढ